फर्द अहकाम

सविता बनाम बनवारी

म न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

शेष स्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर : 249/2022

म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	19/12/23	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित। पत्रावली वास्ते इंतजार कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु दिनांक 8/1/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	पुनः तहसी. 4806 26/12/23
	8/1/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उपस्थित पत्रावली वास्ते इंतजार कुर्रेजात रिपोर्ट हेतु दिनांक 5/2/24 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
	05/2/24	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षकार उप०। प्रकरण में तहसीलदार टूंगा से चाही गई कुर्रेजात रिपोर्ट आज दिनांक 05/02/24 को तहसीलदार टूंगा के पत्रांक भू० अ०/243/2024 दिनांक 01/2/24 द्वारा प्राप्त हुई जो शामिल मिसल की गई। पत्रावली वास्ते बहस कुर्रेजात रिपोर्ट दिनांक 05/2/24 को पेश हुई जिस पर वकील वादी एवं प्रतिवादी ने सहमति जाहिर की है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव पर सहमति जाहिर करने एवं विभाजन प्रस्ताव का अवलोकन करने उपरान्त हम पाते हैं कि विभाजन प्रस्ताव में वर्णित खसरा नम्बरों पर धारा 177 राजस्थान काश्तकारी अधि० 1955 की कार्यवाही लम्बित है एवं उभय पक्ष अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुसार अंतिम डिक्री करने हेतु सहमति जाहिर की गई एवं किसी भी पक्षकार द्वारा आपत्ति नहीं की गई है को ध्यान में रखते इसलिए न्यायहित (हस्ताक्षर)	

फर्द अहकाम

बनाम

नाम न्यायालय : सहायक कलक्टर, बस्सी

राजस्व वाद/प्रार्थना पत्र/मुकदमा नम्बर :

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	तहरीर जारी 440 19/2/2024	हुए वादग्रस्त आराजी ख० नं० 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 638 कुल किता 10 कुल रकबा 2.0700 हैक्टेयर स्थित ग्राम तूंगा, पटवार हल्का तूंगा, तह० तूंगा, जिला जयपुर का तहसीलदार तूंगा के पत्रांक 2024/मु०अ० 243 दिनांक 01/02/2024 द्वारा प्रेषित विभाजन प्रस्ताव का अनुमोदन किया जाकर वादिया का वाद स्वीकार किया जाकर मुताबिक विभाजन प्रस्ताव दिनांक 01/02/2024 अंतिम डिक्री किया जाता है। उक्त निर्णय प्रभावित खातेदारों के विरुद्ध वादग्रस्त आराजी खसरा नम्बरों पर धारा 177 राज० काश्त० अधिनियम 1955 की कार्यवाही जो कि लम्बित है, के निर्णय के अध्यधीन रहेगा। इसी अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। बाद अनुमोदन विभाजन प्रस्ताव व नक्शे तहसीलदार तूंगा को भेजे जावें इस आशय की तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो व नम्बर से कम हो। यह निर्णय आज दिनांक 05/02/24 को खुली न्यायालय में सुनाया गया। (हस्ताक्षर) सहायक कलेक्टर बस्सी जिला-जयपुर